कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

दिनांकः– 23/06/2020

पत्रांकः– 72 / न0पा0प0आ0 / 2020–21

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्यों को ठेके पर दिये जाने हेतु ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2020–21 के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु दिनांक 04/07/2020 तक नियमानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। दिनांक 04/07/2020 के पश्चात् निर्माण कार्यों के ठेके उन्हीं ठेकेदारों को दिया जायेगा, जिनका वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पंजीकरण / नवीनीकरण हो चुका होगा। पंजीकरण / नवीनीकरण के समय निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे की पंजीकरण / नवीनीकरण पर विचार किया जा सके।

पंजीकरण हेतु / नवीनीकरण हेतु नियम व शर्ते :–

1. आवेदक के गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हैसियत प्रमाण पत्र।
2. आवेदक के गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया चरित्र प्रमाण पत्र।
3. व्यापार कर में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 नम्बर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं अद्देयता प्रमाण पत्र) आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है।
4. आयकर विभाग द्वारा प्राप्त पैन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
5. किसी कार्यदायी संस्था से कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए रू0 10.00 लाख की।
6. पासपोर्ट साईज का दो फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो।
7. पंजीयन / नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ बार कौंउन्सिल का सदस्य न हो एवं नगर पालिका के सदस्य / कर्मचारी के सगे सम्बन्धी न हो का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में किसी प्रकार हलफनामा मान्य नही होगा।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के पक्ष में रू0 30,000.00 की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 के रूप में प्रतिभूत जमा करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन फार्म पर भी अंकित करना होगा।
10. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में दिनांक 03/07/2020 तक जमा किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
11. प्रपत्रों की जाँच होने के उपरान्त स्वीकृति के बाद ही ठेकेदारों का पंजीयन / नवीनीकरण किया जायेगा।
12. यदि किसी पंजीकृत ठेकेदार / फर्म द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है या गलत सूचना दी गयी है तो ज्ञात होने पर उसकी जमानत जब्त करते हुए पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
13. किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। आवेदक का कोई दावा मान्य नही होगा।
14. पंजीयन शुल्क रू0 15,000.00 तथा नवीनीकरण शुल्क रू0 10,000.00 पालिका कोष में जमा होगा।
15. समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / संशोधनों का पालन करना होगा।
16. पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु आवेदक यदि दो या दो से अधिक साझेदारी वाली फर्म है तो फर्म के नाम का हैसियत प्रमाण–पत्र मान्य होगा। आवेदक यदि एकल स्वामित्व फर्म है तो ट्रेड नेम (फर्म का नाम) अथवा लीगल नेम (व्यक्ति विशेष का नाम) से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु वर्ष 2020–21में समक्ष: अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

Scanned with CamScanner